Department of Consumer Affairs
Legal Metrology Division

Frequently Asked Questions

Question No. 1: Is it sufficient to include the required declarations under the Legal Metrology (Packaged Commodities) Rules, 2011, only on the footwear box or need to be declared on the footwear itself? (E-29856)

Answer: If all the declarations required under the rules are clearly provided on the footwear box or on the label affixed/ appearing on it, it is not necessary to declare the same on the footwear, separately as it is sold in the box only.

Question No. 2: Are declarations required for footwear items sold without a box? (E-29856)

Answer: In the absence of a box, the declarations may be made on the footwear using a tag or sticker or by other means in the interest of consumers.

Question No. 3: For declaring the retail sale price under the Legal Metrology (Packaged Commodities) Rules, 2011 whether the symbol of ₹ is mandatory or the words "Rs." are also allowed? (E-29856)

Answer: The declaration of retail sale price under the Legal Metrology (Packaged Commodities) Rules, 2011 may be made either with the symbol "₹" or with the words "Rs.".

Question No. 4: Whether Section 22 of the Legal Metrology Act, 2009 is applicable on Feeler Gauges. (E-29856)

Answer: Section 22 of the Legal Metrology Act, 2009 provides for approval of models of weights & measures and weighing & measuring instruments manufactured or imported in India. Section 22 is applicable for the Weights and Measures which are listed in the Legal Metrology (General) Rules, 2011. The 'Feeler Gauges' are presently not covered under the Legal Metrology (General) Rules, 2011.

Question No. 5: Whether Section 22 of the Legal Metrology Act, 2009 is applicable on electronic calipers, mini vernier Gauge, dial depth gauge, digital calipers, bore gauge, digital indicators? (E-29336)

Reply: Section 22 of the Legal Metrology Act, 2009 provides for approval of models of weights & measures and weighing & measuring instruments manufactured or imported in India. Section 22 is applicable for the weights and measures which are listed in the Legal Metrology (General) Rules, 2011. The 'electronic calipers, mini vernier Gauge, dial depth gauge, digital calipers, bore gauge, digital indicators' are presently not covered under the Legal Metrology (General) Rules, 2011. Therefore, approval of model under Section 22 of the LM Act, 2009 of these equipment is not required at present.

आशुतोष अग्रवाल/ASHUTOSH AGARWAL
निदेशक, विधिक माप विज्ञान/Director, Legal Metrology
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
Ministry of Consumer Affairs, Food & PD
उपभोक्ता मामले विभाग/D/o Consumer Affairs
भारत सरकार/Government of India
कृषि भवन, नई दिल्ली/Krishi Bhawan, New Delhi

Question No. 6: Whether verification, stamping and sealing of weighing machines of very high accuracy classes is required before custom clearance or after installation at the place of use? (E-29336)

Reply: As per Section 24/ 33 of the Legal Metrology Act, 2009 and Rule 27 of the Legal Metrology (General) Rules, 2011, the verification and stamping of weighing machines of very high accuracy classes is required to be done at the place of installation before putting into use.

Question No. 7: Whether Section 22 of the Legal Metrology Act, 2009 is applicable on Load Cells? (E-29336)

Reply: Section 22 of the Legal Metrology Act, 2009 provides for approval of models of weights & measures and weighing & measuring instruments manufactured or imported in India. Section 22 is applicable for the weights and measures which are listed in the Legal Metrology (General) Rules, 2011. The 'Load Cells' are presently not covered under the Legal Metrology (General) Rules, 2011, which may be added under these rules shortly. Therefore, approval of model under Section 22 of the LM Act, 2009 of these load cells is not required at present.

Question No. 8: The details of Model Approval Number, manufacturer, Max, Min capacity, 'e' value etc. are required to be declared on the weighing/ measuring machines at the time of manufacture or at the time of sale on the stamping plate? (E-29336)

Reply: It is advisable to declare the details of Model Approval Number, manufacturer, Max, Min capacity, 'e' value etc. on the weighing/ measuring machines at the time of manufacture but need to be ensured mandatorily before sale/ putting into use.

Question No. 9: How to import the weighing machine for which approval is not required in the country of manufacture, as per their special use for R&D or other purposes. (E-29336)

Reply: The import of very few weighing/ measuring instruments (not more than 5) for R&D purposes may be done. However, these machines cannot be sold/ put into use without complying all the requirements of the Legal Metrology Act, 2009 or Rules made thereto. The information of such import need to be given in writing to the concerned Controller of Legal Metrology for needful.

Question No. 10: Whether the Packaged Commodities Rules (known as LMPC Rules) are applicable for the products imported for institutional & Industrial consumers (not for retail sale) including declaration of MRP, consumer care details etc. (E-29336)

Reply: As per Rule 3 of the Legal Metrology (Packaged Commodities) Rules, 2011 the requirement of mandatory declarations on pre-packaged commodities meant for **institutional** & **Industrial** consumers is not required, but it should bear a declaration 'not for retail sale' on the package, before sale.

Question No. 11: Whether verification and stamping of weighing machines used for R&D is required? (E-29336)

आशुतोष अग्रवाल/ASHUTOSH AGARWAL
निदेशक, विधिक माप विज्ञान/Director, Legal Metrology
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
Ministry of Consumer Affairs, Food & PD
उपभोक्ता मामले विभाग/D/o Consumer Affairs
भारत सरकार/Government of India
कृषि भवन, नई दिल्ली/Krishi Bhawan, New Delhi

Reply: As per Section 55 of the Legal Metrology Act, 2009 verification and stamping of weighing machines used for R&D purpose is not required.

Question No. 12: Whether the declaration of "Marketed by" with complete name and address of "Brand Owner" suffice the purpose of Rule 6(1)(a) of the Legal Metrology (Packaged Commodities) Rules, 2011? (E-35008)

Answer: Yes, the declaration of complete name and address of Brand Owner with the words "Marketed by"/ "Brand Owner", as per Rule 10 of the Legal Metrology (Packaged Commodities) Rules, 2011 suffice the purpose of Rule 6(1)(a).

Question No. 13: The outer carton normally known as shipper carton/ Transportation box with printed net weight/ gross weight/ dimensions of the carton with commodity inside with declarations required under the Packaged Commodities Rules of net quantity in units /pieces, etc. Whether the importer required to possess a weighing machine when the packaged commodity inside the outer carton/ shipper carton/ transportation box is not sold by weight or volume but in number. (E-37056)

Answer: The verified and stamped weighing machines are mandatory required for those sellers who sell the commodities in loose. Also, rule 18(7) of the Legal Metrology (Packaged Commodities) Rules, 2011 provides that:

"18(7) All retailers who are covered under the Goods and Service Tax and dealing in packaged commodities whose net content declaration is by weight or volume or a combination thereof shall maintain a electronic weighing machine of at least accuracy class III, with smallest division of atleast 1 g, with facility to issue a printed receipt indicating among other things, the gross quantity, price and the like at a prominent place in their retail premises, free of cost, for the benefit of consumers and the consumers may check the weight of their packaged commodities purchased from the shop on such machine."

Question No. 14: Whether the packaged Commodities Rules require any mandatory declaration on the outer carton normally known as shipper carton/ Transportation box. (E-37056)

Answer: It is in the interest of sellers/ wholesale dealers etc. to mention on the box that whether it is a 'wholesale package' or used only for "shipping/ Transportation" purposes for clarity.

Question No. 15: Whether the provisions of the Legal Metrology Act, 2009 are applicable on Gas Meters. (E-37056)

Answer: The Legal Metrology (General) Rules, 2011 were amended vide GSR 242(E) dated 21st April, 2025 to include Gas Meters, which will come into force w.e.f. 1st September, 2025. Therefore, it is mandatory to comply all provisions of the Legal Metrology Act, 2009 before 1st September, 2025.

आशुतोष अग्रवाल/ASHUTOSH AGARWAL
निदेशक, विधिक माप विज्ञान/Director, Legal Metrology
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
Ministry of Consumer Affairs, Food & PD
उपभोक्ता मामले विभाग/D/o Consumer Affairs
भारत सरकार/Government of India
कृषि भवन, नई दिल्ली/Krishi Bhawan, New Delhi

Question No.16: Whether the manufacturer can declare the font size on packaged commodities, larger than what is mandated under the Legal Metrology (Packaged Commodities) Rules, 2011. (E-37056)

Answer: Yes, Rule 7 of the Legal Metrology (Packaged Commodities) Rules, 2011 provides for the minimum requirement of height of any numeral and letter for declaration under these Rules and manufacturers/ packer/ importer may make declaration in larger font size than mandated under these rules.

Question No. 17: Whether all the declarations shall be declared on the Principal display panel itself at one place? (E-37056)

Answer: Rule 2(h) of the Legal Metrology (Packaged Commodity) Rules, 2011 provides that:

"principal display panel", in relation to a package, means the total surface area of the package where the information required under these rules are to be given in the following manner, namely:-

(i) all the information could be grouped together and given at one place; or

(ii) the pre-printed information could be grouped together and given in one place and on line information grouped together in other place;

Question No. 18: Whether declaration of Unit sale price is applicable for combination packages? (E-37056)

Answer: As per Rules 6(11) of the Legal Metrology (Packaged Commodity) Rules, 2011 the declaration of unit sale price is not required to be declared for a combination package or a group package or a multi-piece package.

Question No. 19 Whether the declaration "1 N" or "1 U" allowed for the declaration of Net quantity of combination packages? (E-37056)

Answer: Yes. The declaration of "1 N" or "1 U" for declaring net quantity may be used apart from other declarations viz number, unit, set, piece, pair or such other words which represent the quantity in the package.

Question No. 20: Whether the verification of the weighing instrument used for domestic purpose mandatory? (E-37056)

Answer: The initial verification of all weighing and measuring instruments before sale/ putting into use is mandatory.

Question No. 21: Whether the declaration of name and address of the foreign manufacturer on the retail package of an imported product is mandatory? (E-37056)

Answer: As per Rule 6 of the Legal Metrology (Packaged Commodities) Rules, 2011 it is mandatory to declare the name and address of the manufacturer/ packer/ importer. Therefore, declaration of name & address of the importer is sufficient compliance under the Legal Metrology (Packaged Commodities) Rules, 2011 for an imported product with declaration of Country of Origin.

आशुतोष अग्रवाल/ASHUTOSH AGARWAL
निदेशक, विधिक माप विज्ञान/Director, Legal Metrology
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
Ministry of Consumer Affairs, Food & PD
उपभोक्ता मामले विभाग/D/o Consumer Affairs
भारत सरकार/Government of India
कृषि भवन, नई दिल्ली/Krishi Bhawan, New Delhi

Question No 22: Whether the weights or measure intended to be used for internal purposes by industries need re-verification? (E-37056)

Answer: Rule 27(2) of the Legal Metrology (General) Rules 2011 provides that:

"(2) The re-verification shall be carried out on the completion of a period of,-

(a) twenty four months for all weights, capacity measures, length measures, tape, beam scale and counter machine,

(b) sixty months for storage tanks, and

(c) twelve months for all weight or measure including tank lorry other than that mentioned in clauses (a) & (b)

Provided that such weights or measures which are used by the industries for their internal use and which do not affect the quantity delivered to the consumers or are not used in any transaction or for protection, shall not require such re-verification."

Question 23. Whether the omission or obscuring (hiding/blackening/darkening) of MRP is permissible on product packs marked as "Not for Retail Sales–For Institutional Customers Only" and "Evaluation Samples–Not for Sale"? (E-19558)

Ans. As per Rule 3 of the Legal Metrology (Packaged Commodities) Rules, 2011, institutional packages are exempted from the provisions of the Rules, including the declaration of MRP. Therefore, omission or obscuring of MRP on such packages is permissible, provided they are clearly and prominently marked as *"Not for Retail Sales–For Institutional Customers Only"* or *"Evaluation Samples–Not for Sale"* and are not intended for retail sale.

Question No 24: How to determine the net quantity for the spirituous alcoholic beverages? (E-37056)

Reply: Under the Legal Metrology (Packaged Commodities) Rules, 2011 the maximum permissible errors on net quantity declared by weight or volume is as follows:

(1) The maximum permissible error, in excess or in deficiency, in the net quantity by weight or volume of any commodity shall be as specified in Table I below:-

आशुतोष अग्रवाल/ASHUTOSH AGARWAL
निदेशक, विधिक माप विज्ञान/Director, Legal Metrology
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
Ministry of Consumer Affairs, Food & PD
उपभोक्ता मामले विभाग/D/o Consumer Affairs
भारत सरकार/Government of India
कृषि भवन, नई दिल्ली/Krishi Bhawan, New Delhi

TABLE-I

Maximum permissible errors on net quantities declared by weight or by volume

Sl. No.	Declared quantity g or ml	Maximum permissible error in excess or in deficiency	
		As percentage of declared quantity	g or ml
(i)	up to 50	9	-
(ii)	50 to 100	-	4.5
(iii)	100 to 200	4.5	-
(iv)	200 to 300	-	9
(v)	300 to 500	3	-
(vi)	500 to 1000	-	15
(vii)	1000 to 10000	1.5	-
(viii)	10000 to 15000	-	150
(ix)	More than 15000	1.0	-

(2) The maximum permissible error specified as percentage shall be rounded off to the nearest one-tenth of a g or ml, for a declared quantities less than or equal to 1000 g or ml and to the next whole g or ml for declared quantities above 1000 g or ml.

Question No. 25: Whether Approval of Model of LNG Calibration Kits is required under the Legal Metrology Act, 2009? (E-37056)

Answer: A separate Model Approval under the Legal Metrology Act, 2009 is not required for LNG Calibration Kits as a whole. However, the following conditions must be complied with:

(i) The LNG Calibration Kits shall be periodically calibrated in water media by FCRI or any other Government laboratory;

(ii) Historical calibration data for each kit shall be maintained for about 10 years and made available for research or reference, if required; and

(iii) The electronic modules and flow meters used in the kit must have valid Model Approval under the Legal Metrology Act, 2009.

Therefore, while the kit as a composite system does not need a separate approval, all individual measuring components forming part of it must conform to approved models and the overall calibration traceability must be ensured through periodic calibration and record maintenance. For keeping records of historical calibration data the applicant shall provide the said calibration certificate/ data to this office, every time, as and when the calibration of said kits occurs.

आशुतोष अग्रवाल/ASHUTOSH AGARWAL
निदेशक, विधिक माप विज्ञान/Director, Legal Metrology
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
Ministry of Consumer Affairs, Food & PD
उपभोक्ता मामले विभाग/D/o Consumer Affairs
भारत सरकार/Government of India
कृषि भवन, नई दिल्ली/Krishi Bhawan, New Delhi

Question 26. Is it mandatory to declare the Unit Sale Price (USP) in exactly two decimal places (for example ₹1.30/g or Rs. 1.30/g) to round off to two decimal places as per Rule 6(11) of the Legal Metrology (Packaged Commodities) Rules, 2011 or is it sufficient to declare Rs. 1.3/g or ₹1.3/g? (E-30515)

Answer: Rule 6(11) of the Legal Metrology (Packaged Commodities) Rules, 2011 requires that the Unit Sale Price shall be rounded off to the nearest two decimal places. The rule does not mandate that the price must always be shown with two digits after the decimal point.

Accordingly, where the calculated USP does not extend beyond one decimal place (for example, ₹65.00 ÷ 50g = ₹1.3/g), declaring it as ₹1.3/g or Rs. 1.3/g is arithmetically correct and compliant, as it is already rounded off to the nearest two decimal places.

However, for uniformity and to avoid misinterpretation, manufacturers, packers and importers may optionally declare the USP as ₹1.30/g or Rs. 1.30/g, though omission of the trailing zero does not constitute a violation or misrepresentation under the Rules.

आशुतोष अग्रवाल/ASHUTOSH AGARWAL
निदेशक, विधिक माप विज्ञान/Director, Legal Metrology
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
Ministry of Consumer Affairs, Food & PD
उपभोक्ता मामले विभाग/D/o Consumer Affairs
भारत सरकार/Government of India
कृषि भवन, नई दिल्ली/Krishi Bhawan, New Delhi

उपभोक्ता मामले विभाग
विधिक माप विज्ञान प्रभाग
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

प्रश्न संख्या 1: क्या विधिक माप विज्ञान (पैक बंद वस्तुए) नियम, 2011 के अधीन आवश्यक घोषणाओं को केवल जूते के डिब्बे पर घोषित करना पर्याप्त है, या जूते पर भी घोषित करने की आवश्यकता है?

उत्तर: यदि नियमों के तहत आवश्यक सभी घोषणाएं जूते के डिब्बे पर या उस पर चिपकाए गए/ दिखाई देने वाले लेबल पर स्पष्ट रूप से दी गई हैं, तो इसे जूते पर अलग से घोषित करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह डिब्बे में बेचा जा रहा है।

प्रश्न सं 2: क्या बिना डिब्बे के बेचे जाने वाले जूतों के लिए भी घोषणा की आवश्यकता है?

उत्तर: डिब्बे के अभाव में, उपभोक्ताओं के हित में घोषणाएं जूते पर टैग या स्टिकर या अन्य तरीकों का उपयोग करके की जा सकती है।

प्रश्न सं 3: लीगल मेट्रोलॉजी (पैक बंद वस्तुए) नियम, 2011 के तहत खुदरा बिक्री मूल्य घोषित करने के लिए क्या ₹ का प्रतीक अनिवार्य है या "रु" शब्द की भी अनुमति है?

उत्तर: विधिक माप विज्ञान (पैक बंद वस्तुए) नियम, 2011 के तहत खुदरा बिक्री मूल्य की घोषणा या तो "₹" प्रतीक के साथ या "रु." शब्दों के साथ की जा सकती है।

प्रश्न सं 4: क्या लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट, 2009 की धारा 22 फीलर गेज पर लागू होती है।

उत्तर: विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 की धारा 22 भारत में निर्मित या आयातित वजन और माप और वजन और माप उपकरणों के मॉडल को मंजूरी प्रदान करती है। धारा 22 उन वजन और मापों के लिए लागू होती है जो विधिक माप विज्ञान (सामान्य) नियम, 2011 में सूचीबद्ध हैं। 'फीलर गेज' वर्तमान में कानूनी माप विज्ञान (सामान्य) नियम, 2011 के अंतर्गत नहीं आते हैं।

प्रश्न सं 5: क्या विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 की धारा 22 "इलेक्ट्रॉनिक कैलिपर्स, मिनी वर्नियर गेज, डायल डेप्थ गेज, डिजिटल कैलिपर्स, बोर गेज, डिजिटल संकेतकों" पर लागू होती है?

उत्तर: विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 की धारा 22 भारत में निर्मित या आयातित वजन और माप और वजन और माप उपकरणों के मॉडल को मंजूरी प्रदान करती है। धारा 22 उन वजन और मापों के लिए लागू होती है जो विधिक माप विज्ञान (सामान्य) नियम, 2011 में सूचीबद्ध हैं। 'इलेक्ट्रॉनिक कैलिपर्स, मिनी वर्नियर गेज, डायल डेप्थ गेज, डिजिटल कैलिपर्स, बोर गेज, डिजिटल इंडिकेटर' वर्तमान में विधिक माप विज्ञान (सामान्य) नियम, 2011 के अंतर्गत नहीं आते हैं। इसलिए, वर्तमान में इन उपकरणों के लिए विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 की धारा 22 के तहत मॉडल की मंजूरी की आवश्यकता नहीं है।

आशुतोष अग्रवाल/ASHUTOSH AGARWAL
निदेशक, विधिक माप विज्ञान/Director, Legal Metrology
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
Ministry of Consumer Affairs, Food & PD
उपभोक्ता मामले विभाग/D/o Consumer Affairs
भारत सरकार/Government of India
कृषि भवन, नई दिल्ली/Krishi Bhawan, New Delhi

प्रश्न सं 6: बहुत उच्च परिशुद्धता वर्ग की तौल मशीनों का सत्यापन, स्टैम्पिंग और सीलिंग, कस्टम क्लीयरेंस से पहले या उपयोग के स्थान पर, स्थापना के बाद किया जाना आवश्यक है?

उत्तरः विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 की धारा 24/ 33 और विधिक माप विज्ञान (सामान्य) नियम, 2011 के नियम 27 के अनुसार, बहुत उच्च सटीकता वाले वजन करने वाली मशीनों का सत्यापन, मुद्रांकन और सीलिंग, उपयोग में लाने से पहले स्थापना के स्थान पर किया जाना आवश्यक है।

प्रश्न सं 7: क्या विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 की धारा 22 "लोड सेल" पर लागू होती है?

उत्तरः विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 की धारा 22 भारत में निर्मित या आयातित भार और माप और वजन और माप उपकरणों के मॉडल को मंजूरी प्रदान करती है। धारा 22 उन भारों और मापों के लिए लागू होती है जो विधिक माप विज्ञान (सामान्य) नियम, 2011 में सूचीबद्ध हैं। 'लोड सेल' वर्तमान में विधिक माप विज्ञान (सामान्य) नियम, 2011 के अंतर्गत नहीं आते हैं, जिन्हें जल्द ही इन नियमों के तहत जोड़ा जा सकता है। इसलिए, वर्तमान में 'इन लोड सेल' के लिए विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 की धारा 22 के तहत मॉडल की मंजूरी की आवश्यकता नहीं है।

प्रश्न सं 8: मॉडल अनुमोदन संख्या, निर्माता, अधिकतम, न्यूनतम क्षमता, 'ई' मूल्य आदि का विवरण। क्या निर्माण के समय या मुद्रांकन प्लेट पर बिक्री के समय वजन/ मापने वाली मशीनों पर घोषित किया जाना आवश्यक है?

उत्तरः मॉडल अनुमोदन संख्या, निर्माता, अधिकतम, न्यूनतम क्षमता, 'ई' मूल्य आदि का विवरण, निर्माण के समय वजन/मापने वाली मशीनों पर, घोषित करने की सलाह दी जाती है लेकिन बिक्री/ उपयोग में लाने से पहले अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।

प्रश्न सं 9: आर एंड डी या अन्य उद्देश्यों के लिए, उनके विशेष उपयोग के अनुसार, वजन मशीन का आयात कैसे किया जाए, जिसके लिए निर्माण के देश में मॉडल अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है।

उत्तरः अनुसंधान एवं विकास उद्देश्यों के लिए, बहुत कम तौल/मापन उपकरणों (5 से अधिक नहीं) का आयात किया जा सकता है। हालाँकि, इन मशीनों को विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 या इसके तहत बनाए गए नियमों की सभी आवश्यकताओं का अनुपालन किए बिना बेचा/ उपयोग में नहीं लाया जा सकता है। ऐसे आयात की सूचना आवश्यक कार्रवाई के लिए विधिक माप विज्ञान के संबंधित नियंत्रक को लिखित रूप में दी जानी चाहिए।

प्रश्न सं 10: क्या पैकेज्ड कमोडिटीज नियम (एलएमपीसी नियम के रूप में जाना जाता है) संस्थागत और औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए आयातित (खुदरा बिक्री के लिए नहीं), उत्पादों के लिए लागू हैं जिसमें एमआरपी की घोषणा, उपभोक्ता देखभाल विवरण आदि शामिल हैं?

उत्तरः लीगल मेट्रोलॉजी (पैकेज्ड कमोडिटीज) नियम, 2011 के नियम 3 के अनुसार संस्थागत और औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए पूर्व-पैकेज्ड वस्तुओं पर अनिवार्य घोषणा की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बिक्री से पहले पैकेज पर 'खुदरा बिक्री के लिए नहीं' की घोषणा होनी चाहिए।

आशुतोष अग्रवाल

आशुतोष अग्रवाल/ASHUTOSH AGARWAL
निदेशक, विधिक माप विज्ञान/Director, Legal Metrology
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
Ministry of Consumer Affairs, Food & PD
उपभोक्ता मामले विभाग/D/o Consumer Affairs
भारत सरकार/Government of India
कृषि भवन, नई दिल्ली/Krishi Bhawan, New Delhi

प्रश्न सं। 11: क्या अनुसंधान और विकास के लिए उपयोग की जाने वाली तौल मशीनों के सत्यापन और मुद्रांकन की आवश्यकता है?

उत्तर: विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 की धारा 55 के अनुसार अनुसंधान और विकास उद्देश्य के लिए उपयोग की जाने वाली तौल मशीनों के सत्यापन और मुद्रांकन की आवश्यकता नहीं है।

प्रश्न संख्या 12: क्या "ब्रांड स्वामी" के पूर्ण नाम और पते के साथ "विपणनकर्ता" की घोषणा विधिक माप विज्ञान (पैकेज में रखी वस्तुएं) नियम, 2011 के नियम 6(1)(क) के प्रयोजन के लिए पर्याप्त है?

उत्तर: हां, विधिक माप विज्ञान (पैकेज में रखी वस्तुएं) नियम, 2011 के नियम 10 के अनुसार ब्रांड स्वामी के पूर्ण नाम और पते की घोषणा "विपणनकर्ता"/ "ब्रांड स्वामी" शब्दों के साथ नियम 6(1)(क) के प्रयोजन के लिए पर्याप्त है।

प्रश्न संख्या 13: बाहरी कार्टन को आम तौर पर शिपर कार्टन/परिवहन बॉक्स के रूप में जाना जाता है, जिसमें मुद्रित शुद्ध वजन/सकल वजन/कार्टन के आयाम होते हैं, जिसमें वस्तु के साथ इकाइयों/टुकड़ों आदि में शुद्ध मात्रा की पैकेज्ड कमोडिटी नियमों के तहत आवश्यक घोषणाएं होती हैं। क्या आयातक के पास एक तौल मशीन होना आवश्यक है जब बाहरी कार्टन/शिपर कार्टन/परिवहन डिब्बे के अंदर पैक की गई वस्तु को वजन या मात्रा के आधार पर नहीं बल्कि संख्या के आधार पर बेचा जाता है।

उत्तर: उन विक्रेताओं के लिए सत्यापित और मुहर लगी वजन करने वाली मशीनें अनिवार्य रूप से आवश्यक हैं जो वस्तुओं को खुले में बेचते हैं। इसके अलावा, विधिक माप विज्ञान (पैकेज्ड कमोडिटीज) नियम, 2011 का नियम 18 (7) प्रदान करता है किः

"18(7) सभी फुटकर विक्रेता जो वस्तु और सेवा कर के तहत कवर किए गए हैं और पैकबंद वस्तुओं का व्यवसाय करते हैं **और जिनकी वस्तुओं की शुद्ध मात्रा की घोषणा बाट अथवा आयतन अथवा उनके समुच्चय द्वारा की जाती है** वे कम से कम वर्ग III परिशुद्धता वाली इलैक्ट्रानिक वेईंग मशीन, जिसमें कम से कम 1 ग्राम की सबसे छोटी डिविजन, सकल मात्रा, मूल्य और ऐसी ही अन्य चीजों को दर्शाने वाली तथा मुद्रित रसीद ज।री करने की सुविधा वाली तौलने की मशीन अपने फुटकर परिसरों में ऐसे प्रमुख स्थान पर रखेंगे जो उपभोक्ताओं को लाभ के लिए निशुल्क होगी और उपभोक्ता ऐसी दुकान से खरीदी गई अपनी पैकबंद वस्तुओं के वज़न को ऐसी मशीनों पर जांच कर सकते हैं।"

प्रश्न संख्या 14: क्या पी पैकेज्ड कमोडिटीज नियमों में बाहरी डिब्बे पर किसी अनिवार्य घोषणा की आवश्यकता होती है जिसे आम तौर पर शिपर डिब्बे/ परिवहन डिब्बे के रूप में जाना जाता है।

उत्तर: बॉक्स पर यह उल्लेख करना विक्रेताओं/ थोक विक्रेताओं आदि के हित में है कि क्या यह एक 'थोक पैकेज' है या स्पष्टता के लिए केवल 'शिपिंग/ परिवहन' उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता है।

प्रश्न संख्या 15: क्या विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 के प्रावधान गैस मीटरों पर लागू होते हैं।

आशुतोष अग्रवाल/ASHUTOSH AGARWAL
निदेशक, विधिक माप विज्ञान/Director, Legal Metrology
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
Ministry of Consumer Affairs, Food & PD
उपभोक्ता मामले विभाग/D/o Consumer Affairs
भारत सरकार/Government of India
कृषि भवन, ... Bhawan, New Delhi

उत्तर: गैस मीटरों को शामिल करने के लिए 21 अप्रैल, 2025 को जी. एस. आर. 242 (अ) के माध्यम से विधिक माप विज्ञान (सामान्य) नियम, 2011 में संशोधन किया गया था, जो 01 सितंबर, 2025 से लागू होगा। इसलिए, 01 सितंबर, 2025 से पहले विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 के सभी प्रावधानों का पालन करना अनिवार्य है।

प्रश्न संख्या 16 : क्या निर्माता पैकेज्ड वस्तुओं पर फ़ॉन्ट का आकार, विधिक माप विज्ञान (पैकेज्ड वस्तुएँ) नियम, 2011 के अंतर्गत निर्धारित आकार से बड़ा घोषित कर सकता है?

उत्तर: हाँ, विधिक माप विज्ञान (पैकेज्ड वस्तुएँ) नियम, 2011 के नियम 7 में इन नियमों के अंतर्गत घोषणा के लिए किसी भी अंक और अक्षर की न्यूनतम ऊँचाई की आवश्यकता का प्रावधान है और निर्माता/पैकर/आयातकर्ता इन नियमों के अंतर्गत निर्धारित आकार से बड़े फ़ॉन्ट में घोषणा कर सकते हैं।

प्रश्न संख्या 17: क्या सभी घोषणाएँ एक ही स्थान पर मुख्य प्रदर्शन पैनल पर घोषित की जाएँगी?

उत्तर: विधिक माप विज्ञान (पैकेज्ड कमोडिटी) नियम, 2011 के नियम 2(एच) में प्रावधान है कि:
किसी पैकेज के संबंध में, "मुख्य प्रदर्शन पैनल" का तात्पर्य पैकेज के उस कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल से है जहाँ इन नियमों के अंतर्गत अपेक्षित जानकारी निम्नलिखित तरीके से दी जानी है, अर्थात्:-
(i) सभी सूचनाओं को एक साथ समूहीकृत करके एक ही स्थान पर दिया जा सकता है; या
(ii) पूर्व-मुद्रित सूचनाओं को एक साथ समूहीकृत करके एक ही स्थान पर दिया जा सकता है और ऑनलाइन सूचनाओं को दूसरे स्थान पर समूहीकृत करके एक ही स्थान पर दिया जा सकता है;

प्रश्न संख्या 18 : क्या संयुक्त पैकेजों के लिए इकाई विक्रय मूल्य की घोषणा लागू है?

उत्तर: विधिक माप विज्ञान (पैकेज्ड कमोडिटी) नियम, 2011 के नियम 6(11) के अनुसार, संयुक्त पैकेज, समूह पैकेज या बहु-टुकड़ा पैकेज के लिए इकाई विक्रय मूल्य की घोषणा करना आवश्यक नहीं है।

प्रश्न संख्या 19 : क्या संयोजन पैकेजों की शुद्ध मात्रा की घोषणा के लिए "1 N" या "1 U" की घोषणा मान्य है?

उत्तर: हाँ। शुद्ध मात्रा की घोषणा के लिए "1 N" या "1 U" की घोषणा का उपयोग अन्य घोषणाओं जैसे संख्या, इकाई, सेट, टुकड़ा, जोड़ी या ऐसे अन्य शब्दों के अलावा किया जा सकता है जो पैकेज में मात्रा को दर्शाते हैं।

प्रश्न संख्या 20: क्या घरेलू प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने वाले तौल उपकरणों का सत्यापन अनिवार्य है?

उत्तर: बिक्री/उपयोग में लाने से पहले सभी तौल और माप उपकरणों का प्रारंभिक सत्यापन अनिवार्य है।

प्रश्न संख्या 21: क्या आयातित उत्पाद के खुदरा पैकेज पर विदेशी निर्माता का नाम और पता घोषित करना अनिवार्य है?

आशुतोष अग्रवाल/ASHUTOSH AGARWAL
निदेशक, विधिक माप विज्ञान/Director, Legal Metrology
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
Ministry of Consumer Affairs, Food & PD
उपभोक्ता मामले विभाग/D/o Consumer Affairs
भारत सरकार/Government of India
कृषि भवन, नई दिल्ली/Krishi Bhawan, New Delhi

उत्तर: विधिक माप विज्ञान (पैकेज्ड कमोडिटीज़) नियम, 2011 के नियम 6 के अनुसार, निर्माता/पैकर/आयातकर्ता का नाम और पता घोषित करना अनिवार्य है। इसलिए, मूल देश की घोषणा के साथ आयातित उत्पाद के लिए विधिक माप विज्ञान (पैकेज्ड कमोडिटीज़) नियम, 2011 के तहत आयातक का नाम और पता घोषित करना पर्याप्त अनुपालन है।

प्रश्न संख्या 22 : क्या उद्योगों द्वारा आंतरिक प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने वाले बाटों या मापों का पुनः सत्यापन आवश्यक है?

उत्तर: विधिक माप विज्ञान (सामान्य) नियम, 2011 के नियम 27(2) में प्रावधान है कि:

(2) पुनर्सत्यापन निम्नलिखित अवधि के पूरा होने पर किया जाएगा:

(क) सभी बाटों, धारिता मापों, लम्बाई के माप, टेप, बीम स्केल और काउण्टर मशीन के लिए चौबीस महीने,

(ख) भण्डारण टैंकों के लिए 60 महीने, और

(ग) उक्त (क) और (ख) में उल्लिखित के अलावा टैंक लारी सहित सभी बाट या मापक के लिए बारह महीने,

"परंतु ऐसे बाट और माप, जिनका उपयोग, उद्योगों द्वारा अपने आंतरिक प्रयोग के लिए किया जाता है और जो ग्राहक को परिदत्त मात्रा पर प्रभाव न डालते हों या जिन्हें किसी संव्यवहार या संरक्षण के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है, के लिए ऐसा पुनः सत्यापन अपेक्षित नहीं होगा।"

प्रश्न संख्या 23: क्या "खुदरा बिक्री के लिए नहीं - केवल संस्थागत ग्राहकों के लिए" और "मूल्यांकन नमूने-बिक्री के लिए नहीं" अंकित उत्पाद पैक पर एम. आर. पी. की अनुपस्थिति या अस्पष्टता (छिपाना/ काला करना/ढकना) की अनुमति है?

उत्तर: विधिक मापविज्ञान (पैकेज में रखी वस्तुएँ) नियम, 2011 के नियम 3 के अनुसार, संस्थागत पैकेजों को एमआरपी की घोषणा सहित नियमों के प्रावधानों से छूट दी गई है। इसलिए, ऐसे पैकेजों पर एमआरपी की अनुपस्थिति या अस्पष्टता की अनुमति है, बशर्ते वे स्पष्ट रूप से और प्रमुखता से "खुदरा बिक्री के लिए नहीं-केवल संस्थागत ग्राहकों के लिए" या " मूल्यांकन नमूने-बिक्री के लिए नहीं" के रूप में चिह्नित हों और खुदरा बिक्री के लिए अभिप्रेत नहीं हैं।

प्रश्न संख्या 24: *मादक (स्पिरिटयुक्त) मदिरापान योग्य पेयों की शुद्ध मात्रा (Net Quantity) कैसे निर्धारित की जाती है?*

उत्तर: विधिक माप विज्ञान (पैकबंद वस्तुएं) नियम, 2011 के अनुसार, वजन या आयतन द्वारा घोषित शुद्ध मात्रा पर अधिकतम अनुमेय त्रुटियाँ (Maximum Permissible Errors) निम्नानुसार हैं:

(1) वजन या आयतन द्वारा घोषित किसी भी वस्तु की शुद्ध मात्रा में अधिकता या कमी की अधिकतम अनुमेय त्रुटि नीचे दी गई तालिका-1 के अनुसार होगी:

आशुतोष अग्रवाल/ASHUTOSH AGARWAL
निदेशक, विधिक माप विज्ञान/Director, Legal Metrology
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
Ministry of Consumer Affairs, Food & PD
उपभोक्ता मामले विभाग/D/o Consumer Affairs
भारत सरकार/Government of India
कृषि भवन, नई दिल्ली/Krishi Bhawan, New Delhi

तालिका-1
वजन या आयतन द्वारा घोषित शुद्ध मात्रा पर अधिकतम अनुमेय त्रुटियाँ

क्रम संख्या	घोषित मात्रा (ग्राम या मिलीलीटर)	अधिकतम अनुमेय त्रुटि (अधिक या कम)	
		घोषित मात्रा का प्रतिशत	ग्राम या मिलीलीटर
(i)	50 तक	9	—
(ii)	50 से 100	—	4.5
(iii)	100 से 200	4.5	—
(iv)	200 से 300	—	9
(v)	300 से 500	3	—
(vi)	500 से 1000	—	15
(vii)	1000 से 10000	1.5	—
(viii)	10000 से 15000	—	150
(ix)	15000 से अधिक	1.0	—

(2) प्रतिशत के रूप में निर्दिष्ट अधिकतम स्वीकार्य त्रुटि को 1000 ग्राम या एमएल से कम या उसके बराबर घोषित मात्रा के लिए ग्राम या एमएल के निकटतम दसवें भाग तक और 1000 ग्राम या एमएल से अधिक घोषित मात्रा के लिए अगले पूरे ग्राम या एमएल तक पूर्णांकित किया जाएगा।

प्रश्न संख्या 25: क्या विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 के अंतर्गत एलएनजी अंशांकन किट के मॉडल का अनुमोदन आवश्यक है?

उत्तर: विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 के अंतर्गत समग्र रूप से एलएनजी अंशांकन किट के लिए एक अलग मॉडल अनुमोदन आवश्यक नहीं है। हालाँकि, निम्नलिखित शर्तों का पालन किया जाना आवश्यक है:

(i) एलएनजी अंशांकन किट का एफसीआरआई या किसी अन्य सरकारी प्रयोगशाला द्वारा जलीय माध्यम में समय-समय पर अंशांकन किया जाएगा;

(ii) प्रत्येक किट के लिए ऐतिहासिक अंशांकन डेटा लगभग 10 वर्षों तक बनाए रखा जाएगा और आवश्यकता पड़ने पर अनुसंधान या संदर्भ के लिए उपलब्ध कराया जाएगा; और

(iii) किट में प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनिक मॉड्यूल और प्रवाह मीटर का विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 के अंतर्गत वैध मॉडल अनुमोदन होना चाहिए।

आशुतोष अग्रवाल/ASHUTOSH AGARWAL
निदेशक, विधिक माप विज्ञान/Director, Legal Metrology
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
Ministry of Consumer Affairs, Food & PD
उपभोक्ता मामले विभाग/D/o Consumer Affairs
भारत सरकार/Government of India
कृषि भवन, नई दिल्ली/Krishi Bhawan, New Delhi

इसलिए, जबकि एक समग्र प्रणाली के रूप में किट को अलग से अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है, इसके सभी अलग-अलग माप घटकों को अनुमोदित मॉडलों के अनुरूप होना चाहिए और आवधिक अंशांकन और रिकॉर्ड रखरखाव के माध्यम से समग्र अंशांकन अनुरेखण सुनिश्चित किया जाना चाहिए। ऐतिहासिक अंशांकन डेटा का रिकार्ड रखने के लिए आवेदक को प्रत्येक बार, जब भी उक्त किट का अंशांकन किया जाएगा, इस कार्यालय को उक्त अंशांकन प्रमाणपत्र/डेटा उपलब्ध कराना होगा।

प्रश्न 26: क्या विधिक माप विज्ञान (पैकबंद वस्तुएं) नियम, 2011 के नियम 6(11) के अनुसार इकाई बिक्री मूल्य (यूएसपी) को ठीक दो दशमलव स्थानों (उदाहरण के लिए ₹1.30 /ग्राम या रु.1.30 /ग्राम) में घोषित करना अनिवार्य है, ताकि उसे दो दशमलव स्थानों तक पूर्णांकित किया जा सके या क्या रु.1.3 /ग्राम या ₹1.3 /ग्राम घोषित करना पर्याप्त है?

उत्तर: विधिक मापविज्ञान (पैकबंद वस्तुएं) नियम, 2011 के नियम 6(11) के अनुसार इकाई विक्रय मूल्य को निकटतम दो दशमलव स्थानों तक पूर्णांकित किया जाना चाहिए। नियम यह अनिवार्य नहीं करता कि मूल्य हमेशा दशमलव बिंदु के बाद दो अंकों में दर्शाया जाना चाहिए।

तदनुसार, जहाँ परिकलित USP एक दशमलव स्थान से आगे नहीं बढ़ता है (उदाहरण के लिए, ₹65.00 ÷ 50 ग्राम = ₹1.3/ग्राम), इसे ₹1.3/ग्राम या रु.1.3/ग्राम घोषित करना अंकगणितीय रूप से सही और अनुपालन योग्य है, क्योंकि इसे पहले ही निकटतम दो दशमलव स्थानों तक पूर्णांकित किया जा चुका है।

हालाँकि, एकरूपता और गलत व्याख्या से बचने के लिए, निर्माता, पैकर और आयातक वैकल्पिक रूप से USP को ₹1.30/ग्राम या रु.1.30/ग्राम घोषित कर सकते हैं, हालाँकि अंतिम शून्य को हटाना नियमों के तहत उल्लंघन या गलत बयानी नहीं माना जाता है।

आशुतोष अग्रवाल/ASHUTOSH AGARWAL
निदेशक, विधिक माप विज्ञान/Director, Legal Metrology
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
Ministry of Consumer Affairs, Food & PD
उपभोक्ता मामले विभाग/D/o Consumer Affairs
भारत सरकार/Government of India
कृषि भवन, नई दिल्ली/Krishi Bhawan, New Delhi